तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.21	**राधेश्याम बनाम महादेव प्रसाद** **(जीसीएमएस नं. 2020/00756) 887/20** पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित, उनकी बहस प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने पर सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य ग्राम के मौजीज लोगों द्वारा समझाईस करने पर राजीनामा हो गया है जिस बाबत एक राजीनामा लिखावट भी तहरीर व तकमील किया जा चुका है इसलिये अब अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहता है इसलिये अपील को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करें तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को अब आगे चलाना नही चाहता है ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	